भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1349

उत्तर देने की तारीख: 25.11.2019

शारीरिक शिक्षा

1349. श्री तीरथ सिंह रावतः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पुरानी परंपरा के अनुसार जूनियर हाई स्कूलों में शारीरिक शिक्षा को इस समय एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या शारीरिक शिक्षा को नई शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रस्तावित पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यालयी स्तर पर सभी कक्षाओं में योग को एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) : राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचा, 2005 के अनुसार, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा कक्षा 1 से 10वीं तक का अनिवार्य विषय है। इस संबंध में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने शिक्षक गाइड के रूप में कक्षा VI, VII और VIII के लिए और स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा (एचपीई) पर कक्षा IX की पाठ्यपुस्तकों के लिए सामग्री प्रकाशित की है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सरल और व्यवस्थित स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा (एचपीई) कार्यक्रम शुरू किया है ताकि कक्षा I-XII के छात्रों के लिए स्कूलों में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को मुख्य विषय के रूप में लाया जा सके। स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि एचपीई/खेल-कूद के लिए प्रतिदिन एक पीरियड निर्धारित किया जाए। यह कार्यक्रम सीबीएसई के सभी संबद्ध स्कूलों के लिए अनिवार्य है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 1 अप्रैल, 2018 से स्कूल शिक्षा हेतु एकीकृत योजना- समग्र शिक्षा शुरू की है। इस नई एकीकृत योजना में स्कूल को प्री-स्कूल से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक एक सातत्य के रूप में परिकल्पित किया गया है और यह सभी स्तरों

पर समावेशी और समान गुणवत्तापरक शिक्षा सुनिश्चित करती है। बच्चों के समग्र विकास करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए, खेल-कूद, शारीरिक गतिविधियां, योग, पाठ्येत्तर कार्यकलापों इत्यादि को प्रोत्साहन देने के लिए पहली बार खेल और शारीरिक शिक्षा घटक को शुरू किया गया है।

(ख) से (घ) : डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) हेतु समिति ने दिनांक 31 मई, 2019 को अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत की है। मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह उल्लेख है कि सभी स्कूल विषयों को खेल, योग आदि सहित पाठ्येत्तर या सह-पाठ्येत्तर के स्थान पर पाठ्यक्रम माना जाएगा। इसके अलावा यह भी स्पष्ट है कि स्कूल के सभी स्तरों पर सभी छात्रों को शिक्षकों और सुविधाओं की स्थानीय उपलब्धता के अनुसार खेलकूद, योग, मार्शल आर्ट, नृत्य, बागवानी आदि जैसी शारीरिक गतिविधियों और अभ्यासों में भागीदारी करने के नियमित घंटे और अवसर प्रदान किए जाएंगे। वर्तमान में, आगामी समीक्षा और परामर्शों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है और आशा है कि जल्द ही आवश्यक अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

*****